RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2022-24
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

गौतम बुद्ध

बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर

मई-2024 | वर्ष - 16 | अंक : 04 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल)
मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख -
रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक
पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020
IFSC CODE-SBIN0001784

प्रतिनिधित्व पूर्ण समाज ही न्यायपूर्ण समाज है

भारत पाकिस्तान का क्रिकेट गेम होता है और अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो भारत के मुसलमान पटाखे फोड़ कर खुशी मनाते हैं या नहीं मनाते हैं ये बात तो शेड्युल्ड कास्ट, शेड्युल्ड ट्राईब्स, ओबीसी की जो बस्ती है उधर जाकर ब्राह्मण बताते हैं कि फलाने मुसलमानों की बस्ती में पटाखे फोड़कर खुशी मनाया है और उनका स्वागत किया है। वो लोग सुनते हैं मगर जाँच करने के लिए नहीं जाते हैं कि पटाखे फोड़े भी या नहीं फोड़े हैं। क्योंकि वो लोग नासमझ हैं। उनको दलील और तर्क करना नहीं आता है। उनको ये भी समझ में नहीं आता कि इसमें बदमाशी भी हो सकती है। वो ये सोचते हैं कि ये तो ब्राह्मण हैं ये तो धार्मिक आदमी हैं। धार्मिक आदमी बदमाशी क्यों करेगा ? इसलिये इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिये।

अगर इन सारे सवालों का जवाब ये देते हो कि इस्लाम , मसावाद, और इतिहाद का धर्म है तो आप लोग गंभीर नहीं हो।

ब्राह्मण हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के एरिया में आकर कहता है कि मुसलमान विदेशी है। इसके बारे में मुसलमानों की खबरदारी लेनी चाहिये। मगर मुसलमान कहते हैं कि हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब हमारा पुरखा है। ऐसा कहकर खुद ही उनके नजर में सिद्ध करते हैं कि हाँ हम विदेशी हैं। इस तरह से उनकी धारणाएँ और ज्यादा मजबूत हो जाती है।

मा. मेश्राम ने कहा कि इस्लाम धर्म की लैंग्वेज अरबी में है। मगर कितने भारत के मुसलमान हैं जिनको अरबी आती है। एक सवाल है एक विचार, चिंतन के लिए। मुसलमानों में अरबी बोलने वालों को अंगुलियों पर गिन सकते हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ अरबी तो छोड़ो, फारसी भी नहीं आती है। उर्दू भी नहीं आती है। उर्दू के बारे में भी भारत सरकार की रवैया बहुत डिफरेन्ट है। उसके बाद बहुत से एरिया है कि मुसलमानों को शुद्ध हिन्दी भी नहीं आती है। अगर आप गोरखपुर, आजमगढ़ जाओ तो वहां के मुसलमान भोजपुरी बोलते हैं। पटना में मगधी, लखनऊ में अवधी, केरला में मलयाली भाषा बोलते हैं। गुजरात में गुजराती बोलती है। मोहम्मद अली जिन्ना वैरिस्टर थे और गाँधीजी भी बैरिस्टर थे। दोनों बेहतरीन अंग्रेजी बोल सकते थे मगर जब भी आपस में मिलते थे गुजराती में ही बात करते थे। दोनो के दोनो बनिया थे।

इसलिये इसके बारे में वास्तव में सोचने वाली बात है कि आखिरकार ब्राह्मण, मुसलमानों के बारे में घृणा अभियान अभियान क्यों चलाता हैं ? शेड्युल्ड कास्ट को ब्राह्मण धर्म में अछूत कहा जाता है। अछूतों के विरोध में ब्राह्मणों ने घृणा अभियान चलाया। शेड्युल्ड कास्ट को ब्राह्मण धम में अछूत कहा जाता है। अछूतों के विरोध में ब्राह्मणों ने घृणा अभियान चलाया। शूद्रों के खिलाफ घृणा अभियान चलाया। ब्राह्मणों ने हजारों सालों तक एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ घृणा अभियान चलाया। वही घृणा अभियान वो भारत के मुसलमानों के खिलाफ चला रहे हैं। क्या मुसलमान उस इतिहास को जानते हैं ? जिस एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ ब्राह्मणों ने घृणा अभियान चलाया उस एससी, एसटी, ओबीसी के लोसों ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म कबूल किया। जो मुसलमान विदेश से भारत में आये थे क्या उसी की संतान भारत का मुसलमान हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 90: से ज्यादा मुसलमान भारत में एससी, एसटी, ओबीसी से धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं। यह बात भारत के मुसलमान को मालूम नहीं है। जो एससी, एसटी, ओबीसी से धर्मपरिवर्तन किया वो मुसलमान जानता है या नहीं जानता है मगर ब्राह्मण जानता है। यही मूलकारण है मुसलमानों के खिलाफ घृणा अभियान चलाने का। इसके बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए कि क्या भारत में मुसलमान असुरक्षित है तो ये कारण नहीं ये परिणाम है।

इसलिये मुसलमानों को सोचना चाहिये कि इसका कारण क्या है ? अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले इन्जेक्शन या दवा नहीं देता है। वो पहले डायग्नोसिस करता है। मरीज से दस सवाल पूछता है। फिर वो निर्धारित करता है कि मरीज को कौन सी बीमारी हुई उसके आधार पर दवा देता है। अगर कारण पता चल जाय तो मुसलमानों को उसका समाधान करने का काम करना चाहिये। अगर समाधान नहीं करोगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। जो फसाद होता है इसके बारे मे लोगों को क्या मालूम है ? एससी, एसटी, ओबीसी को हिन्दु के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ फसाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिये कहता हूँ कि ये फसाद मुसलमानों की समस्या नहीं है। फसाद में इस्तेंमाल होने वाले लोगों की समस्या है। जिनका इस्तेमाल होता है उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। लगभग सारे मुसलमान भारत को भारत नहीं कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उर्दू लिटरेचर में भारत नहीं है उसमें सभी हिन्दुस्तान शब्द है।

1925 से आरएसएस के लोग भारत को हिन्दुस्तान बनाने के काम पर लगे हुए हैं। वो आज तक कामयाब नहीं हुए। मगर मुसलमान पहले से भारत को हिन्दुस्तान बना दिया है। मेरे को समझ में नहीं आता है

कि मुसलमान अपना काम कर रहे हैं या अपने दुश्मनों का काम कर रहे हैं। भारत का संविधान पढ़ो तो पहली ही लाईन में बाबासाहब ने लिखा है 'इण्डिया दैड इज द भारत।' इसको भारत के संविधान सभा ने पारित किया। इसका मतलब है कि डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का अकेले की राय नहीं है। ये भारत के संविधान सभा की राय है। ये संविधानिक जनादेश है। संविधान में बाबासाहब ने, 395 आर्टिकल हैं केवल एक वाक्य जिसका उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी किया। क्योंकि वो जानते थे कि मेरे मरने के बाद में जब ब्राह्मण इसको ट्रांसलेशन करेगा तो इण्डिया का ट्रांसलेशन हिन्दुस्तान करेगा। जब तक संविधान बना रहेगा वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए संविधान को खत्म करने का उनका अभियान चल रहा है।

मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम किसी किस्म का भेदभाव नहीं करता है। भारत के संविधान में जाति, वर्ण, लिंग, रंग, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा मगर स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ। बोध गया में जो मैनेजमेन्ट कमेटी है वहाँ मेजॉरिटी ब्राह्मणों की है। चर्चों पर हमले हो रहे हैं। मुसलमानों के मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। इस देश में जितने नॉन ब्राह्मीन रिलीजन हैं सभी लोगों पर हमले होते हैं केवल एक धर्म छोड़कर। संघ परिवार कहता है कि मुसलमानों का कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों का सत्यानाश करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। सरकार को ये सारी बातें पहले ही मालूम थी क्योंकि सच्चर कमीशन में जो आंकड़े दिए हुए हैं ये सारे के सारे आंकड़े सच्चर कमीशन ने सरकार से माँगे हैं। सरकार ने ही सच्चर कमीशन को दिए हैं।

अगर सारे आंकड़े कांग्रेस को मालूम है कि मुसलमानों की हालत शेड्युल्ड कास्ट से बद्दतर है तो कांग्रेस ने यह कमीशन क्यों बनाया ? क्योंकि संघ परिवार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। इससे एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी अपने को हिन्दू मानता है इसलिए उनका ध्रुवीकरण संघ परिवार और बीजेपी के अंदर हो गया। बहुत सारे हाईकास्ट के लोग इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। इस वजह से हाईकास्ट के लोग जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का सपोर्टर हो गये हैं। इससे कांग्रेस के सामने समस्या है कि हम तो मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं करते हैं मगर हमारे ऊपर बीजेपी और संघ परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। इसका समाधान करने का काम कांग्रेस के हाथों में है। पहला यह कि पब्लिकली कांग्रेस यह कहें कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं करते हैं।

जो लोग नाराज होकर बीजेपी और संघ परिवार के साथ चले गये हैं उन लोगों को खुश करके कांग्रेस के साथ फिर जोड़ा जाय। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुसलमानों को मालूम हो जायेगा। इस वजह से मुसलमान नाराज हो जायेंगे। मंगर मुसलमानों को गुमराह करना है। उनको सचाई मालूम नहीं होनी चाहिए इसलिए ये रास्ता सही नहीं है। उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला और सच्चर कमीशन बनाया। सारे देश भर में डिस्कश और डिवेट हुआ कि मुसलमानों की हालत शेड्युल्ड कास्ट से भी बद्दतर हो गई है। अब संघ परिवार और बीजेपी के लोंगो को कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना मुश्किल हो गया है कि कांग्रेस मुसलमानों की तुष्टीकरण करती है मगर सच्चर कमीशन कहता है कि नहीं करती है।

सच्चर कमीशन मुसलमानों की हालत को बयां करके, रिसर्च करके मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति सुधारने के लिए यह रिपोर्ट नहीं बनाया गया बल्कि हाईकास्ट के जो लोग कांग्रेस से टूट कर बीजेपी और संघ परिवार के साथ चले गये हैं उनको अपने साथ लाना चाहती है मकसद कांग्रेस दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आना चाहती है। मुसलमानों का कल्याण करने के लिए यह सर्वे नहीं किया गया है।

1972 में इन्दिरा गाँधी ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था, उसको 35 साल हो गये। अलग से कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। अलग बनाने के पीछे का मकसद है कि जो नाराज लोग हैं उनको काँग्रेस जताना चाहती है कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो मुसलमानों का सत्यानाश करने के काम पर लगे हुए हैं। मगर मुसलमानों को पता ही नहीं है।

इस बात के साथ मा. वामन मेश्राम ने अपनी बात समाप्त की।

साभार : बहुजनों का बहुजन भारत
20 मई 2007 वर्ष 6 अंक 19

प्राकृतिक चिकित्सा

ग्रीष्म ऋतु पर विजय

ओ महान् दिनकर भास्कर, जीवन के मूल स्त्रोत, ऊर्जा के महान उद्गम, तुम्हें शत् शत् प्रणाम । तुम हमें हर दिन एवं हर वर्ष नित नवीन बनाते हो । संपूर्ण जगत के मानव, पशु एवं वनस्पति को हमेशा नया जीवन देते हो । शीतकाल में जब तुम्हारी किरणें मंद होकर हमारी पृथ्वी में आती है तब उसके प्रखर और तेज होकर हम तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते हैं। क्या होगा, यदि तुम्हारी किरणें हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी? यहां की हर चीज मर जायेगी, वनस्पति एवं पशु मर जायेगें। पृथ्वी बंजर हो जायेगी। हम सभी अमावस की रात्रि जैसे गहन अंधकार में खो जायेंगे, आखिर तुम्हारी किरणें ही हमारी पृथ्वी की हर वस्तु को संभालती हैं, उन्हें जीवन देती है तथा उसका पालन – पोषण करके उनका विकास भी करती हैं, अतः हे प्राणदाता सूर्य तुम्हें फिर से शत् – शत् प्रणाम् ।

उपरोक्त अंश अफ्रीका महाद्वीप के एक देश के लोकप्रिय पुराण कथन के आधार पर उद्घृत किया गया है । सूर्य जीवन का उद्गम है, बिना सूर्य प्रकाश के जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, अतः सूर्य की किरणों की लाभकारी शक्तियां महान हैं। सूर्य की किरणें संचार को गति देती हैं। लसिका प्रणाली को उनके कार्यों में मदद करती हैं। हृदय को बल देती है और मस्तिष्क को जागृत रखती है। सूर्य की किरणों के द्वारा हमारी त्वचा के भीतर विटामिन – डी तैयार होता है, जो कैल्शियम व फास्फोरस को रक्त संचार के उपयोग में लाने का काम करता है, जिससे हमारे रक्त का संगठन ठीक रहता है एवं शरीर की सारी अस्थियों को पोषण मिलता है । एक हल्का सूर्य प्रकाश स्नान स्नायविक कमजोरी, चिन्ता, उदासीनता, तनाव और कुंठा से ग्रसित व्यक्ति को स्वाभाविक स्वास्थ्य की ओर लौटा सकता है । सूर्य रश्मि में पाये जाने वाले पराबैंगनी किरणें श्वेत रक्तकण में वृद्धि करती है, जिसमें हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है तथा हम रोग संक्रमण से बचकर अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। हर चीज की अति बुरी होती है। उसी तरह सूर्य किरणों का अतिसेवन भी बुरा है। सूर्य रश्मि के प्रयोग का समय देशकाल एवं व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहना चाहिये।

ग्रीष्म ऋतु में विशेष तौर पर हमें किरणों के समक्ष रहने से सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि हम सूर्य अतिसेवन के शिकार न हों, इसलिए आवश्यक है, कि हमारे शरीर में सूर्य किरणों के द्वारा पैदा किये गये अतिसार के संतुलन को बनाये रखने के लिये पानी का संतुलन बनाये रखना चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक ग्रीष्म ऋतु में धूप में रहने पर शरीर से पसीना काफी मात्रा में निकल जाने के कारण रक्त मे पानी की कमी की स्थिति पैदा हो जाती है, जो हमें कोई बीमारियों का शिकार बना देता है। रक्त में पानी की कमी होने पर पसीना निकलने की प्रक्रिया में रूकावट पैदा हो जाती है। यह पसीना निकलने की प्रक्रिया शरीर की गर्मी बढ़ जाने पर उसे अपने आप ठण्डा करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा शरीर का औसत तापमान स्थिर रहता है। पसीना निकलने की प्रक्रिया के द्वारा हम अपने चारों ओर ताप नियन्त्रक वातावरण पैदा करते है। पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बनाये रखता है, क्योंकि जो प्रदूषण रहित द्रव हमारे रोमकूपों के द्वारा निकलता है इससे हमारा शरीर ओजोन की परतों को बिना चीरे हमारे शरीर को ठण्डा रखता है। प्यास लगना हमारे रक्त में पानी की कमी का सही प्रमाण नहीं माना जाता, इसलिये हमें अपने मूत्र के हर रंग पर ध्यान देना चाहिए । यदि वह गहरा पीले रंग का है तो हमें पर्याप्त पानी की आवश्यकता है, लू लगना तथा लू लगने से पहले शरीर में झटके लगना रक्त में पर्याप्त पानी की कमी का प्रमाण है, साथ ही सोडियम की कमी का भी।

इस तरह शरीर में द्रव की कमी व ताप की

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

अधिकता से सिरदर्द, सिर का भारीपन, कमजोरी, उल्टी एवं उत्तेजना पैदा होती है। लू लगना, एक गंभीर स्थिति है, ऐसी हालत में लापरवाही करने पर मृत्यु भी हो सकती है। यदि लगातार धूप में रहने के कारण खूब पसीना निकलने पर हमें तीव्र प्यास लगती है तो वह रक्त में पानी की कमी के कारण ही होता है, इसके साथ ही भूख की कमी, सिरदर्द, चक्कर, जी मिचलाना एवं उल्टी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है । लू लगने के दूसरे प्रधान लक्षणों में एक लक्षण है हृदय की धड़कन का बढ़ जाना ऐसी स्थिति में हमें तुरन्त छायादार स्थान पर जाकर विश्राम करना चाहिए, संभव हो तो कमरे के भीतर ठण्डे स्थान में जाकर लेट जाना चाहिए तथा निम्न विधि से शरीर के ताप को संतुलन मे लाने का यथाशीघ्र प्रयास करना चाहिए ।

ग्रीष्म ऋतु में घर से बाहर जाने पर हमेशा ठण्डे पानी की बोतल साथ रखना चाहिए, खासतौर पर धूप में बाहर जाने पर हमेशा ठण्डे पानी की बोतल साथ में रखना चाहिए, खासतौर पर धूप में रहकर बीच – बीच में हर आधे घण्टे में 100 से 120 ग्राम पानी पीते रहना चाहिए। हालांकि कई लोग घर से निकलते समय कई गिलास पानी एक साथ पी लेते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि बिना आवश्यकता के पिया गया पानी शरीर पेशाब के जरिये यथा शीघ्र बाहर निकाल देता है, कई बार हमें तीव्र प्यास लगने पर पानी नहीं मिलने पर नारियल का पानी, फलों का रस, आम का पना, मट्ठा (छाछ) लिया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, कि हम धूप में काम करते हैं, या परिश्रम करते हैं और बाहर से हवा गर्म रहती है तब हमारी शर्ट अथवा अन्दर पहने हुए कपड़े पसीने से पूरी तरह गीले हो जाते हैं तथा बाहर की गर्मी गीले कपड़े को पार करके ठण्डा होकर हमारे शरीर में लगता है, जो हमें सुहाता है एवं शरीर के बढे हुए तापमान को कम करता है, ग्रीष्म ऋतु में हमें अधिक से अधिक ताजे फलों एवं कच्ची साग – सब्जियों का प्रयोग भोजन में करना चाहिए, जिससे हमारे रक्त में खनिज, नमक व पानी का संतुलन बना रहे।

ग्रीष्म ऋतु में कई लोग ठण्डे पेय पदार्थ के साथ अधिक नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करना इसलिये उचित नहीं है, कि रक्त में अधिक नमक की उपस्थिति पसीना पैदा करने के लिये प्यास को कम पैदा करती है, इसी तरह बीयर जैसे पदार्थ भी दूसरे मादक द्रव्यों की तरह लू लगने की प्रवृति को बढ़ावा देती है, क्योंकि इन पेय पदार्थ से भी रक्त मे पानी की कमी पैदा हो जाती है, इसलिये उनके बदले में सादा पानी, फलों का रस या कच्चे नारियल का पानी पिया जा सकता है।

ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणों का ताप सबसे अधिक होता है अर्थात 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने त्वचा की रक्षा भी करें, ऐसा नहीं करने पर त्वचा ढीली झुर्रीदार हो सकती है तथा उसका रंग गोरा है तो सांवला व सांवला है तो काला हो सकता है, त्वचा को इस अधिक ताप वाले सूर्य किरणों के सीधे संपर्क में रखने पर त्वचा के अंदर की नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा का वह भाग मोटा हो जाता है। जो आगे चलकर स्पर्श ज्ञान अर्थात त्वचा की संवेदनशीलता को कम करता है। त्वचा में झुर्रियां आने लगती है, कई बार शरीर को बहुत अधिक सूर्य किरण में रखने पर कैंसर पैदा होने का खतरा भी हो सकता है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक पसीना आने के कारण सारे शरीर में चकत्ते, पित्ती एवं घमौरियां पैदा हो जाती है। जिसके कारण पसीने का त्वचा के ऊपरी सतह में सुखकर रोमकूपों का बंद हो जाना है, जिससे पसीना सीधे त्वचा की ऊपरी सतह से रिसता है, इसलिये त्वचा ऊपरी सतह पर सारे शरीर में लाल चकते आ जाते हैं तथा उसकी वजह से चकतों के स्थान पर खुजली और जलन होने लगती है। समझना यह है कि ये बारीक चकते, घमौरियां तो नहीं है या फिर एक्जिमा की शुरूआत है। यदि हम ध्यान से देखें तो त्वचा में कई स्थान पर केवल छोटे लाल धब्बे व श्वेत ग्रन्थियां है, जिसके मुखों के ऊपर सूजन आ गयी है। उसी के ठीक आसपास जो घमौरियां पैदा हो जाती है। उनकी वजह से सुई चुभने जैसी चुभन होती है, ऐसी हालत में यथाशीघ्र सूखे स्थान पर जाकर खुली हवा के सपंर्क में सारे शरीर को लाना चाहिए, जहाँ उमस न हो तथा खुली हवा तेज गति से बह रही हो, ढीले कपड़े हो खादी अथवा सूती कपड़े से बने हों, पहनने चाहिए। किसी भी तरह से रासायनिक पदार्थो से बने अर्थात् नायलोन, पालिएस्टर से बने कपड़े न हो व पहनने में चुस्त न हों । सारे शरीर में मिट्टी का लेप लगाकर 15 से 30 मिनट तक उसी हालत मे रखें। आवश्यकता हो तो लेप लगाने से पहले मिट्टी में थोड़ी बर्फ भी मिलायी जा सकती है, ताकि मिट्टी ठण्डी लगे, मिट्टी से सारे शरीर में ठण्डक पैदा हो, जो शरीर के आवश्यक गर्मी को खींच ले। लेप करने के बाद नीम पानी में स्नान करें। नीम पानी बनाने के लिये नीम पत्तों को पानी मे उबालकर घड़े में डालकर ठण्डा कर लेना अच्छा होगा।

मोटापे से ग्रसित लोगों को अक्सर त्वचा मे जो धरियाँ पड़ जाती है, उन धारियों के गढ़ढे वाले भाग में पसीना इक्ट्ठा होकर सूखता है, जो सब तरह के चर्म रोंगों को जन्म देता है। जो मोटापे से ग्रसित होते हैं उनके शरीर से अधिक पसीना निकलता है, क्योंकि उनके शरीर में अधिक गर्मी होती है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर 11 से शाम 4 बजे तक गर्मी बहुत ही प्रखर होती है। अतः इस समय अधिक ताप से बचाव करना आवश्यक है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने अंदर के वस्त्रों को पूरी तरह गीला करके बाहर धूप में जा सकते है, ऐसा करने से बाहर की गरम हवा पहने हुए गीले कपड़े को पार करके शरीर पर लगने पर सूखकर ठंडक पहुँचती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ नहीं पाता और लू से पूरी तरह से बचाव हो जाता है। यह एक तरह का वातानुकूलन (AIR CONDITIONING) की बाहरी प्रक्रिया है, लेकिन साथ ही हमें प्रकृति के द्वारा दिये गये आंतरिक वातानुकनूलन की प्रक्रिया का भी स्मरण रखना चाहिए । वह है सादे ठण्डे पेय पदार्थो का भरपूर सेवन, जिससे हमारे शरीर को वातानुकूलित रखने वाले यंत्र अर्थात त्वचा के रोमकूप पूरी मात्रा मे पसीना निकालकर शरीर के स्वाभविक तापमान को पूरी तरह से सामान्य अवस्था में बनाये रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अच्छा यही होता है कि दोपहर 12 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक सूर्य ताप में सीधे रहने तक सूर्य ताप में सीधे रहने से बचें । घर के अंदर रहने पर आँखों में ठण्डक पैदा करने के लिये खीरे को टुकड़ो में काटकर उसे आंख बंद करके पलकों के ऊपर रखना चाहिए या ठण्डी मिटटी की पट्टी अथवा गुलाब जल में भिगोया हुआ रूई का टुकड़ा भी बंद पलकों से ऊपर रखा जा सकता है। दोनों हथेलियों व पैर तलवों एवं सिर को ठण्डक पहुंचाने के लिये मेहन्दी को पीसकर उसका लेप लगाना बहुत ही अच्छा उपाय है।

वातानुकूलित यंत्र ; ।प्त ब्छक्प्ज्प्छप्छळद्ध पूरे घर अथवा हर कमरे में लगाना काफी महंगा कार्य है, अतः उसके बदले में खस की टट्टियाँ लगाकर कमरे को ठण्डा किया जा सकता है। ऐसा करने पर यह ध्यान रखना चाहिए कि खस की टट्टियाँ सूर्य की किरणों से सीधे पड़ने वाली खिड़कियों पर लगाये जायें, जिनमें पानी का डिछ़काव उन ट्ट्टियों के सुखने से पहले करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर न केवल आपका कमरा ठण्डा रहेगा वरन् आप पूरे समय तक जब तक आप कमरे में हैं खस की भीनी खुशबु से आनन्दित होते रहेंगे।

ग्रीष्मकाल के लिये प्रकृति ने पूरे शरीर में ठण्डक बनाये रखने के लिये बहुत सारे खाद्य पदार्थ पैदा किये हैं, ताकि हमारा शरीर सूर्य के अति ताप को सहन कर सके। ऐसे उपयुक्त खाद्य पदार्थो में तरबूज, अन्नानास, बेल, संतरा, मौसंबी एवं चकोतरा मुख्य रूप से आते हैं। इसके अतिरिक्त खीरा, ककड़ी, सिंघाडा कमल फल तथा करौंदा भी ठण्डक पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। नींबू पानी, गेहूँ के घास का रस, नीम पानी एवं खीरा भी शरीर के ताप को सामान्य अवस्था में बनाये रखने के लिये उत्तम है। अन्नों में इन दिनों ज्वार – बाजरा, बारली, गेहूँ एवं हाथ कुटे चावल भी अपेक्षाकृत ठण्डक पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ग्रीष्म ऋतु में इन खाद्य पदार्थो की चर्चा करने बाद आम फल की चर्चा किये बिना ग्रीष्म ऋतु की खाद्य तालिका करना चाहिए, या यों कहें कि पूरे ग्रीष्म ऋतु में एक वक्त के भोजन में यदि आम की मात्रा 50 से 80ः हो तो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभकारी होगा। आम का प्रयोग करते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि उसे प्रयोग के एक घण्टा पूर्व ठण्डे पानी में डुबा दिया जाये। यदि फल फ्रिज में रखा हुआ है तब आम को ठण्डे पानी में डुबाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त बातों का ध्यान रखने पर ग्रीष्म ऋतु की तपन भारी व त्रासदायी न होकर सुखद हो सकती है।

साभार–प्रकृति किरण 2003–04

डॉ. ए.एस. गुरु गोस्वामी
सदस्य छत्तीसगढ़, आयुर्वेदिक यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड रायपुर छत्तीसगढ़

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का संघर्ष

पुराने वैदिक धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर बुद्ध ने अपना धर्म निर्मित किया यह सर्व विदित है और एक समय में संपूर्ण भारत बौद्ध था, किन्तु प्रतिक्रांति हुई, ब्राह्मण धर्म ऊपर उठा और बुद्ध का धर्म बुद्ध के जन्मभूमि में ही पतन हो गया। बौद्ध भिक्षु मारे गये, बचे खुंचे को देश छोड़ कर भागना पड़ा। जाते वक्त कुछ बौद्ध वाड्.मय वे साथ ले गए। बौद्ध ग्रंथ देश से अदृश्य हो गये, जब पाश्चात्प विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथों की खोज करना चाहा तो कोई ग्रंथ नहीं मिले, केवल एक अपवाद था – केरल में मंजुश्री मूल कल्प मिला। बौद्ध ग्रंथों के अभाव पर श्री चौधरी का कथन है :–

''जिस भू–भाग में बुद्ध धर्म और जैनधर्म के दार्शनिक सिद्धान्त करीब तीन शताब्दी तक ऐश्वर्यवान रहे। वहां वाड्.मय का अभाव होगा ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। शायद अति उत्साही हिंदुओं द्वारा वाड्.मय नष्ट किया गया''।

तब भी, बौद्ध सिद्धांत रीतिरिवाज, प्रथाएं जो जनसामान्य में प्रचलित थी, वे कुछ भ्रष्ट स्वरूप में वैसी ही बनी रही और आज भी कई जन समूहों में दिखाई देती हैं, बौद्ध पवित्र पूजा स्थल, मंदिर, मठ विहार संघाराम आदि जो भिक्षुओं द्वारा त्याग दिये थे उनके खंडहर बन गये, किन्तु सब नहीं, उनमें से जो प्रमुख थे उन पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और ब्राह्मणीय पूजा के लिए रूपवांतरित कर लिया, कई विद्वानों ने यह बताया हैं कि पूरी के जगन्नाथ, बद्रीकेश्वर के नारायण और महाराष्ट्र में पंढ़रपुर के विठोब एक वक्त बौद्ध थे, किन्तु हमारी जानकारी में , अब तक किसी ने नहीं बताया कि तिरूपती के वेंकटेश्वर, जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध स्थान है, और उत्तर में भी बालाजी नाम से विख्यात है, एक वक्त बौद्ध देवता थे, और वह बौद्धों का पवित्र स्थान था, बुद्ध धर्म के पतन के वक्त उसका कब्जा ब्रह्मणीय धर्मों ने लिया। इस लिखान का उददेश्य यह बताना है कि यह प्रसिद्ध तिरूपति क्षेत्र, जो अब विष्णु क्षेत्र हैं, एक जमाने में बौद्ध क्षेत्र था।

ब्राह्मण धर्म पर बौद्ध धर्म के परिणाम, जो आज भी दिख पड़ते।

आज का हिन्दु धर्म जो है उस पर बौद्ध धर्म का असीम प्रभाव है और उसके अवशेष आज भी स्पष्ट दिखतें हैं, यह बात कहने की जरूरत नहीं है, इस विषय में विद्वानों का क्या दृष्टीकरण है यह हम देखेंगे, श्री लालमणी जोशी का कथन कुछ इस प्रकार है :

'' स्वामी विवेकानन्द अपने भाषणों में तथा लिखानों में बार–बार हिन्दु धर्म पर बौद्ध प्रभाव का उल्लेख करते हैं, उनका कहना है कि, 'अर्वाचीन हिन्दु धर्म ज्यादातर पौराणिक है, अर्थात बौद्ध धर्म के पश्चात उदित हुआ है' उन्होंने बताया कि मदिरा सेवन तथा यज्ञों में और खाने में प्राणियों की हिंसा करना इन प्रथाओं को कम करने या बंद करने में बौद्ध धर्म ही मुख्यतः जबाबदार हैं, हिन्दुओं की मूर्तियों तथा मंदिरों का उद्गम उन्होंने बौद्ध पद्धति से बताया वह सुयोग्य है। बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म के विषय में उन्होंने कहा कि, ''बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म ये दो अलग अलग चीजे नहीं हैं। बुद्ध धर्म के पतन के समय, हिन्दु धर्म ने कुछ प्रमुख धर्मतत्व बौद्ध धर्म के लिए और उन्हें अपनाया और इन्ही तत्वों को अब वैष्णव धर्म कहते हैं। '' यह बात लक्षणिय है कि, वैष्णव धर्म केवल कुछ प्रमुख धर्मतत्वों का आचरण मात्र नहीं है। स्वामी विवेकानन्द संक्षेप में उन सब नीति तत्वों का तथा प्रथा, रीति, रिवाज, आचरणों का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे कि अहिंसा, करूण , मैत्री, गुरू के पति सम्मान, मानसिक एवं वासनाओं का नियंत्रण, योग आदि जो कि बौद्ध धर्म ने वैष्णव धर्म को दिया। बोधीसत्व का आदर्श तथा बुद्धावतार की कल्पना भी वैष्णव धर्म का अभिन्न अंग बन गया''।

बौद्धों के केवल आदर्श और नीतितत्व ही ब्राह्मणों ने नहीं उठाये किन्तु मंदिर भी अपना लिये।

आदर्श और नीतितत्व जो ब्राह्मणों ने हिन्दु धर्म को सशक्त बनाने और ऊपर उठा कर खड़ा करने हेतु बुद्ध धर्म से अपनाये हैं, इस विषय में लालमणी जोशी आगे कहते हैं :

'' बौद्ध भिक्षुओं के आदर्शों एवं संस्थाओं के बारे में, स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि मठों में दीक्षा तथा सन्यास ग्रहण का धर्मोपदेश संपूर्ण भारत में बुद्ध के पश्चात ही शुरू हुआ और हिन्दु धर्म ने बौद्धों की सन्यास ग्रहण की भावना को अपना लिया। काषाय वस्त्रों को हिन्दु धर्म में भी स्थायी आश्रय मिला। हिन्दु आचार्यों ने केवल बौद्धों की भिक्षु संस्था को ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि, उन्होंने बौद्ध मठ विहार आदि पर भी अधिकार जमाया। आज जो अनेकानेक मठ भारत में आप देख रहे हैं। जिनमें सन्यासी बसे हैं, एक वक्त बौद्धों की सम्पत्ति थी। हिंदुओं ने केवल उनको अपने हिसाब से परिवर्तन करके आज अपना लिया है। सच बात तो यह है कि सन्यास लेने के व्यवस्था का उद्गम ही बुद्ध से हुआ। स्वामी विवेकानन्द ने अंतिम निष्कर्ष के तौर पर कहा कि, हिन्दु धर्म इतना जो महान बना वह केवल बुद्ध के तत्वों का अंगीकार करने से ही बना। स्वामी विवेकानन्द अर्वाचिन हिंदु धर्म के एक प्रधान व्यक्ति रहे हैं और उनके मत लिखे पढ़े हिंदुओं के मत को दर्शाते हैं ''।

सामाजिक परिस्थितियों पर भी बुद्ध धर्म का प्रभाव रहा।

इस देश की सामाजिक परिस्थितियों पर बुद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा और स्त्रियों तथा शूद्रों पर क्या परिणाम हुआ, इस विषय में श्री लालमणी जोशी कहते हैं :

'' सामाजिक जीवन पर बौद्ध धर्म ने कई प्रकार से गहरा आद्यात किया, उसके नेता तथा आचार्य बार बार जाति पद्धति की आलोचना करते रहे और जाति तथा वर्ण पर आधारित झूठे वर्चस्व की भावना की खिल्ली उड़ाते रहे । दूसरी तरफ ऊंचे धार्मिक जीवन तथा उच्चतम धार्मिक लक्ष्य की ओर, जिसने भी चाहा उन सब के लिए बौद्ध धर्म के द्वार खोल दिए। समाज के निच माने गये, जातियों के लिए भी हालांकि जाति पद्धति का विरोध किया और जातिपद्धति के बुराईयों की बार–बार समाज को शिक्षा दी। बुद्ध धर्म के सामाजिक योगदान का दूसरा पहलु था– स्त्रियों पर लगाई गयी सामाजिक पांबदियों से उन्हें मुक्त करना। धार्मिक संस्कृति में स्त्रियों को बौद्धों ने, जैनो ने समान किन्तु ब्राह्मणों से विपरीत समानता की संधि उपलब्ध कराई। इतिहास को ज्ञात सर्वप्रथम आंरभिक भिक्षुणों संघ की सदस्या बौद्ध थेरीयाँ ही थी। उनकी धार्मिक कविताएँ हम तक थेरी गाथा द्वारा पहुंची हैं, जैसे कि खेमा, पटाचार, धम्मदीना, शुभ, किसा, सुजाता, विशाखा, सामवती, आम्ब्रपाली, उप्लमन्ना तथा सोमा आदि, जिससे भारतीय समाज में नारी के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म ने महान कार्य किया था यह बात स्पष्ट रूप से दिखती हैं। शूद्रों के उत्थान में बौद्धों के योगदान के बारे में भी यही बात सच है ''।

उपलब्ध कराई। इतिहास को ज्ञात सर्वप्रथम आंरभिक भिक्षुणों संघ की सदस्या बौद्ध थेरीयाँ ही थी। उनकी धार्मिक कविताएँ हम तक थेरी गाथा द्वारा पहुंची हैं, जैसे कि खेमा, पटाचार, धम्मदीना, शुभ, किसा, सुजाता, विशाखा, सामवती, आम्ब्रपाली, उप्लमन्ना तथा सोमा आदि, जिससे भारतीय समाज में नारी के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म ने महान कार्य किया था यह बात स्पष्ट रूप से दिखती हैं। शूद्रों के उत्थान में बौद्धों के योगदान के बारे में भी यही बात सच है ''।

बौद्ध जन सामान्यों का क्या हुआ ?

बौद्ध भिक्षुओं का क्या हुआ, ग्रंथों का क्या हुआ, मंदिरों का क्या हुआ ये हमने देखा तथा बौद्ध विचारों को कैसे हिंदु पद्धति में अपनाया गया यह भी हमने देखा। किन्तु बौद्ध धर्म के पश्चात बौद्ध जन सामान्य जो कि भारतीय समाज मे बहुसंख्यक थे, उनका क्या हुआ ? डा0 अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से पहले ही बताया था कि बौद्धों में से कई लोगों को अछूत बनाया गया। हमारी ऐसी मान्यता है कि यदि कुछ सुयोग्य अध्ययन किया जाये तो अब भी यह मुमकिन है कि ऐसे जन समूहों की पहचान हो सके जो हिन्दु बन गये हैं। लालमणी जोशी ने कुछ छोटे–छोटे समूहों की पहचान की है :

'' विद्वानों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि धर्मठाकुर सम्प्रदाय कुछ नीची जाति के लोगों में प्रचलित हैं, जैसे कि डोम, हादी, मच्छीमार, बढ़ई आदि ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में ये जतियाँ शूद्र मानी जाती है। एस.बी. दासगुप्ता इनके धर्म का वर्णन करते हैं– '' परवर्ती बौद्ध विचार एवं प्रथाएं और अनार्य आदिवासियों के प्रचलित हिंदू विचार इनका मिश्रण। '' उनके अनुसार '' धर्म संप्रदाय के कुछ घटक परवर्ती कालीन बौद्ध धर्म के लिए हैं, जिसे मंत्रयान और बाद में वज्रयान के नाम से जाना जाता था। उनका विचार है कि धर्म ठाकुर सम्प्रदाय पर कुछ मुस्लिम प्रभाव हैं और वैसी ही बंगाल के मुस्लिमों पर बौद्ध प्रभाव है।''

तब भी हमारी मान्यता है कि आज के हिन्दु के जनसंख्या के कई और बड़े तथा महत्वपूर्ण समूह पहले बौद्ध थे इसकी पहचान की जा सकती है, नागेन्द्रनाथ बसु ने मयुरभंज के जंगली इलाकों का अन्वेषण किया और उन्होंने पाया कि वहां के लोग बौद्ध थे, नगेन्द्रनाथ बसु के पुस्तक के 1911 ई0 में प्रस्तावना लिखते वक्त डॉ0 हरप्रसाद शास्त्री ने आज की जनसंख्या में कुछ ऐसे जन समूहों की पहचान की है जो पहले बौद्ध थे। इनमें जिनका उल्लेख उन्होनें किया है उनमें हैं– गोरखनाथ के अनुयायी, धर्मगढ़ीया योगी, बहुत से गुप्ता, वैद्यकार, सुनार, बढ़ई, चित्रकार, बंगाल का व्यापारी वर्ग, कायस्थों में लगभग सभी सोनार बनिया, वैष्णव सहजीया आदि।

संदर्भ : तिरूपति बालाजी एक प्राचीन बौद्ध क्षेत्र, डॉ. के. जमनादास।

साभार : बहुजनों का बहुजन भारत

रविवार 20 मई 2007 वर्ष 6 अंक 19

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

कुशल बनो। उत्पादन करो।। अधिकारों के लिए संघर्ष को तैयार रहो।।।

मानवता को वापस भुगतान करें
Pay back to humanity
कुछ भी संभव है
अगर आपको खुद पर विश्वास है

रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारी महासंघ ट्रस्ट

Defence And Multiple Civilian Employee Federation Trust

पंजीयन सं० 34 दिनांक 18/10/2023

भारतीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत

कार्यक्षेत्र समस्त भारत

–: पंजीकृत कार्यालय –

ग्राम व पोस्ट – रिवई (सुनैचा)
थाना – कबरई, जिला महोबा (उ० प्र०)
मो०: 7839007418
E-mail : damceftrust@gmail.com
Website : www.dbindia.org.in

–: प्रदेश कार्यालय उत्तर प्रदेश :–

म० न० 50B, तुलसी नगर
नियर पी० ए० सी० गेट
श्याम नगर, कानपुर (उ० प्र०)
मो०: 9506623779

प्रदेश प्रभारी

बीरबल वर्मा

मो०: 9936429765

लक्ष्य – रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं से भारत सरकार एवं सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों विभागों को अवगत कराना और उनके निराकरण हेतु कानून बनवाने आदि की मांग करना।
रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से वंचित, पीड़ित, शोषित प्राणियों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तत्पर रहना।
शिक्षा – निःशुल्क शिक्षा हेतु भारत के प्रत्येक जिले में विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन करना।
स्वास्थ्य – चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान करवाना और चिकित्सालयों की स्थापना करना।
सामाजिक सुरक्षा – व्यक्तियों के संकट के समय, जन्म, मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभ प्रदान करना है।
रक्षा – रक्षा में लगे कर्मचारियों व उनके परिवार से है।
और – सभी
विभिन्न नागरिक कर्मचारी – संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्मकारों से हैं। (सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर)
महासंघ – भारत के नागरिकों का संगठन से है।
ट्रस्ट – विश्वास/भरोसा है।

उस संगठन को दान दें
जिस पर आप विश्वास करते हैं
Make Donations to
an Organization You Believe In

–: उद्देश्य :–

- लक्ष्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं की नियुक्त करना आदि।
- संचालित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में गरीब बच्चों को शिक्षण हेतु प्रवेश दिलाना और उनका खर्च वाहन करना।
- रोजगार के सृजन के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना/संचालन करना आदि।
- भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डा० अम्बेडकर के विचारों के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य करने वाले नागरिकों को ''डा० अम्बेडकर विचार प्रचार रत्न'' से सम्मानित किया जाना।
- प्राकृतिक चिकित्सा और योग के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य करना आदि।

अतः आप सभी भारत के नागरिकों से अपील है कि तन, मन, से सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

निवेदक –

सियाराम

राष्ट्रीय संयोजक/न्यासी, **मो०: 9454923394**

अनिल कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम)
मो०: 8593630338, 07897757223
श्रीमती उमेश्वरी देवी
राष्ट्रीय संयोजक (मुद्रण एवं संचार)
मो०: 9005204074, 8756157631
मनोज कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (बेसिक शिक्षा विभाग)
मो०: 8787010365
पंकज कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
मो०: 7906006187
लेखचन्द्र गुप्ता
राष्ट्रीय संयोजक (खेल)
मो०: 9235728318
अजय कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (राज्य कर्मचारी)
मो०: 7007822504
महिपाल
राष्ट्रीय संयोजक (भारतीय जीवन बीमा निगम)
मो०: 9935456466
जगदीश प्रसाद दिनकर
राष्ट्रीय संयोजक (हथकरधा विभाग)
मो०: 9455593651
विवेक कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (सामाजिक संगठन)
मो०: 9616961612
श्रीमती सविता
राष्ट्रीय संयोजक (असंगठित क्षेत्र)
मो०: 8400430633
कु० ललिता
राष्ट्रीय संयोजक (महिला विभाग)
मो०: 7985811410
आशीष कुशवाहा
राष्ट्रीय संयोजक (अनुशिक्षण)
मो०: 8318038232
डा० अति दीपादन
राष्ट्रीय संयोजक (स्मारक एवं पार्क कर्मचारी)
मो०: 7269887945, 9258704062
विवेक कुमार चौधरी
राष्ट्रीय संयोजक (आयुध निर्माणियाँ अस्पताल)
मो०: 96969778910
महेश चन्द्र अहिरवार
राष्ट्रीय प्रवक्ता
मो०: 6388370835, 9956845323
विनोद कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (संविदा एवं व्यापार)
मो०: 9935783705

–: राज्य कार्यालय छत्तीसगढ़ :–

वार्ड नं० 35 दुर्गा नगर
नियर नगर पालिका निगम कार्यालय के पास
जिला रायपुर
श्रीमती रमा गजभिये
राष्ट्रीय संयोजक (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र)
मो०: 7828273934
आयुष गजभिये
राज्य प्रभारी
मो०: 9131112561
राजबहादुर अहिरवार (बस्तर)
राज्य सहप्रभारी
मो०: 620306631

–: राज्य कार्यालय राजस्थान :–

जी–19, नियर आटो स्टैण्ड
खुदानपुरी, जिला – अलवर
ताराचन्द
राज्य प्रभारी
मो०: 8504063363

–: पूर्वोत्तर राज्य कार्यालय असम :–

ग्राम – चिपरसंगम पार्ट–1
पो० – अलगापुर जिला – हैलाकांदी
बिलालुद्दीन चौधरी
प्रभारी पूर्वोत्तर राज्य
मो०: 9401027750
भवानी बूढ़ा ठोकी
प्रभारी असम राज्य
मो०: 6000539663
हरीनाथ चौहान
राष्ट्रीय संयोजन (असम & बिहार राज्य)
मो०: 6000380690
रितुदास
राष्ट्रीय संयोजक (असम & पं० बंगाल राज्य)
मो०: 8638349801

–: प्रभारी हरियाणा राज्य :–

देवेन्द्र सहरावत
मो०: 9068831086

–: प्रभारी बिहार राज्य :–

अनिलदास # 9651217573
रामप्यार साह # 6263491099

–: प्रभारी म० प्र० राज्य :–

महेन्द्र तुरकर
प्रदेश प्रभारी
मो०: 8878372412
पुष्पेन्द्र अहिरवार
प्रदेश प्रभारी
मो०: 9669376505
रमाशंकर
प्रदेश प्रभारी उ० प्र० (बेसिक शिक्षिक)
मो०: 9450850778
ईश्वरी प्रसाद
राज्य संयोजक उ० प्र० (भारतीय जीवन बीमा निगम)
मो०: 9794366838
रामसिंह
मण्डल संयोजक झांसी
मो०: 9616838281, 6392558232
अनिल कुमार
मण्डल प्रभारी कानपुर
मो०: 9198414002
सुनील कुमार
मण्डल संयोजक वाराणासी
मो०: 9935363730, 9170836363
दातादीन
मण्डल संयोजक लखनऊ
मो०: 8115511006
सुनील कुमार
मण्डल संयोजक प्रयागराज
मो०: 8948990184
सुभाष चन्द्र
मण्डल संयोजक प्रयागराज
मो०: 8303995957
सुभाष कुमार
मण्डल संयोजक कानपुर
मो०: 9695931879
राकेश कुमार
जिला प्रभारी इटावा
मो०: 8009802461

शूद्र और दास

पिछले अध्याय में यह सिद्ध हो गया है कि पाश्चात्य सिद्धांत कितने निराधार हैं। अब उस सिद्धांत को लेकर एक ही भाग शेष रह जाता है – शूद्र कौन थे ? श्री ए.सी. दास का कथन है :–

'' दास और दस्यु या तो वनवासी थे या वैदिक आर्य जाति से भिन्न आर्य आदिवासी थे। उनमें से जो युद्धबंदी हुये उन्हें संभवतः दास बना कर शूद्र जाति बना दिया गया।''

अन्य एक वेदविज्ञ और पश्चिमी देशों के लेखकों के विचारों के समर्थक श्री काणे का विचार है :– परवर्ती साहित्य में दास का अर्थ खेतिहर दास या केवल मजदूर दास होता है। इसका अभिप्रायः यह है कि ऋग्वेद के अनुसार दासों ने आर्यों का प्रतिरोध किया और फिर वे निरंतर युद्ध में पराजित हुये और उन्हें आर्यों की सेवा करने को विवश होना पड़ा। मनुस्मृति (8.4.13) में उल्लेख है कि शूद्रों को ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा के लिये ही बनाया है। तैत्तिरीय संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की स्थिति ऐसी ही बतायी गई है जैसे स्मृतियों में है। इसलिये यह मानना होगा कि दास अथवा दस्यु आर्यों द्वारा पराजित हुये और कालांतर में शूद्र जाति में परिवर्तित हो गये।

इस मत के अनुसार दास और दस्यु ही शूद्र हैं। साथ ही शूद्र अनार्य थे और वे भारत की प्राचीन सभ्यता की आदिम जाति थे। इसी विचार का हम विश्लेषण करेंगे।

प्रथम बात भी दो प्रकार की है। पहला विचार है कि दास और दस्यु एक ही हैं और दूसरा विचार यह है कि दास और दस्यु ही शूद्र हैं। पहला विचार कि दास और दस्यु एक ही हैं, संदिग्ध है। ऋग्वेद में उनके संबंध में पाये जाने वाले वृतांत निर्णायक नहीं हैं। कुछ स्थानों पर दासों और दस्युओं के संबंध में किये गये वर्णनों में ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें कोई अंतर नहीं है। शाम्बर, भूषण, वृत्र और पिप्रू का दास और दस्यु दोनों अर्थ में वर्णन है। दास और दस्यु ही इन्द्र और अन्य देवों के विशेष रूप से अश्विनी कुमारों के शत्रु माने गये हैं। ऐसा ही वर्णन मिलता है कि इन्द्र और देवों ने इन दोनों के नगरों को ध्वस्त कर दिया। दासों और दस्युओं की पराजय से समान प्रभाव पड़ा। अर्थात प्रकाश का उदय और जल की मुक्ति। दभिति की मुक्ति का वर्णन करते हुये दास और दस्यु दोनों का वर्णन एक साथ किया गया है। एक स्थान पर कहा गया है कि दाभिति के दासों से छुड़ाया गया है और दूसरे स्थान पर दस्युओं से छुड़ाया गया बताया गया है।

उपरोक्त वर्णनों से ज्ञात होता है कि दास और दस्यु एक ही थे। जबकि अन्यत्र दानों का पृथक–पृथक वर्णन है। ऋग्वेद में ''दास'' शब्द 54 बार तथा दस्यु शब्द 78 बार व पृथक–पृथक आया है। इसके यह तथ्य प्रकट होता है कि दोनों भिन्न थे, क्योंकि यदि दोनों भिन्न नहीं थे तो फिर इनके वर्णन में भिन्नता क्यों है? संभावना यह है कि दोनों पृथक–पृथक समुदाओं या जातियों के थे।

जहां तक शूद्रों का प्रश्न है यह कहना कि वे भी दासों और दस्युओं की जाति के थे, निराधार है। शूद्र शब्द की व्याख्या करने पर शुक (शोक) और (विजित) मिलकर शोक से विजित अर्थ निकलता है। इस संबंध में वेदांत सूत्र (1.3.34) में जनश्रुति की कथा है। इसमें राजहंसों द्वारा उनके विषय में घृणास्पद वर्णन किये जाने से वे शोकग्रस्त हो गये। विष्णु पुराण में भी इसी प्रकार की कथा है।

उपरोक्त वर्णन कितने प्रमाणित हैं ? शूद्र शब्द का मूल स्वतंत्र शब्द न होकर व्युत्पत्ति किया हुआ मानना शब्दों की अनुचित व्याख्या करना है। ब्राह्मणवादी लेखक मिथ्या या झूठ शब्द गढ़ने में प्रवीण है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसकी व्युत्पत्ति वे भिन्न प्रकार से प्रस्तुत न कर सकें। प्रोफेसर मैक्समूलर ने ब्राह्मणवादी लेखकों के द्वारा उपनिषद शब्द की भिन्न–भिन्न प्रकार की व्युत्पत्ति के संबंध में कहा है :–

'' उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति को चतुराई से विपरीत व्याख्या के ढांचे में इस प्रकार गढ़ा गया है कि यह देशी छात्र की समझ से बाहर रहे। किसी भी शब्द के प्रचलित अर्थ जो किसी अर्द्धशिक्षित की समझ में भी आ जायें तो ही उन्हें व्युत्पत्ति का आधार बनाना चाहिये। इस व्युत्पत्ति में आरण्यक शब्द नहीं आता और इसका संबंध उपनिषद शब्द से न होते हुये भी सामान्य अर्थ में सटीक बैठता है।''

यही बात वेदांत सूत्र और वायु पुराण के ''शूद्र'' शब्द के संबंध में प्रकट होती है, जिसमें शूद्र का अर्थ शोक ग्रस्त लोग स्थापित किया गया है। अतः इस अर्थ को हमें निरर्थक और मूर्खता मान कर अस्वीकृत कर देना होगा।

इस कथन के संबंध में हमारे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं कि शूद्र एक कबीले या वर्ग की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द किसी प्रकृति का प्रतीक नहीं है जैसा कि कहा गया है।

इस कथन के पक्ष में विभिन्न साक्ष्य मौजूद हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत आये इतिहासकारों ने कई स्वतंत्र गणराज्यों का उल्लेख किया है जिनसे सिकंदर को लोहा लेना पड़ा। ऐसे कई स्वतंत्र और प्रभाव सपन्न गणराज्य थे। निस्संदेह इन कबीलों को कई नामों से जाना जाता था। इनमें से एक सोद्री भी था। यह काफी विख्यात कबीला था जिसमें सिकंदर का सामना किया। यद्यापि वह उससे पराजित हो गया था। इसे प्राचीन शूद्रों के रूप में मानने वाले बहुत कम हैं। पतंजलि ने अपने महाभाष्य के श्लोक 1,2,3 में शूद्रों के उल्लेख किया है और उनका संबंध ''आभीरों'' से बताया है। महाभारत के सभा पर्व के 32वें अध्याय में एक शूद्र गणराज्य का उल्लेख है। विष्णु पुराण, मारकण्डेय पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसे अनेक कबीलों के समान एक कबीला बताया गया है और उन्हें विंध्याचल के दक्षिणी भाग का निवासी कहा है।

अब दूसरी बात पर आते हैं और उसके विभिन्न पक्षों का निरूपण करते हैं। इस विषय में दो तथ्य हैं। पहला है, क्या दस्यु और दास शब्दों का प्रयोग अनार्य कबीलों की किसी जाति का सूचक है ? दूसरी बात यह है कि मान भी लें कि ऐसा है तो क्या यह स्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी है कि वे भारत की मूल जन जाति थे ? जब तक इन दोनों का सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पाता, तब तक दस्यु और दासों को शूद्र नहीं कहा जा सकता।

जहां तक दस्युओं का प्रश्न है ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि उन्हें अनार्य जाति के रूप में माना जा सकता है। दूसरी ओर इस निष्कर्ष के पक्ष में ऐसे ठोस प्रमाण मौजूद हैं कि दस्यु शब्द उन लोगों के लिये प्रयोग किया गया है जो आर्यों के धर्म का पालन नहीं करते थे। इस संबंध में महाभारत के शांति पर्व के 65वें अध्याय का 23वां श्लोक देखा जा सकता है।

दृश्यन्ते मानुषे लीके सर्ववर्णेषु दस्यवः।
लिंगान्तरे वर्तमाना आश्रमेषुचतुर्ष्वपि।।

अर्थात ''सभी वर्णों और सभी आश्रमों में दस्यु विद्यमान है।''

यह कहना कठिन है कि दस्यु शब्द का मूल क्या है ? किंतु एक विचार है कि वह भारतीय आर्यों द्वारा भारतीय आर्यो द्वारा भारतीय ईरानियों के लिये कथित ''अपशब्द'' हैं यह अस्वाभाविक या अप्रासंगिक भी नहीं है क्योंकि इतिहास में दोनों के मध्य हुई संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसलिये यह बिल्कुल संभव है कि भारतीय आर्यों ने अपशब्द के रूप में इस शब्द का अपने शत्रुओं के लिये प्रयोग किया होगा और यह वास्तविकता है। अतः दस्यु भारतीय मूलवंश के नहीं हो सकते।

दास शब्द के संबंध में प्रश्न उठता है कि क्या '' जैड़ अवैस्ता'' में उल्लिखित ''अजि दाहक'' का ''दास'' से कोई संबंध है। अजिदाहक समास है इसके दो पद हैं। इसके अन्वय करने पर अजि का अर्थ सर्प और दाहक के मूल दाह का अर्थ डंक मारना है। ''अजिदाहक'' का अर्थ है डंक मारने वाला सर्प। भारतीय ईरानियों में '' जोहक'' एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द यश्ट साहित्य में बहुत स्थानों पर प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि ''जोहक'' ने बेबीलोन में सुंदर महल और वैधशाला का निर्माण कराया था। शक्तिशाली शैतान के प्रधान अंगार मैन्यू ने अजिदाहक को विश्व की पवित्रता नष्ट करने के लिये उत्पन्न किया और इस अजिदाहक ने भारतीय ईरानियों के सम्राट यिमा को युद्ध में परास्त कर मार डाला।

यिमा को अवेस्ता में क्षेता कहते हैं जिसका अभिप्राय प्रकाशमान अथवा शासक से हैं इसके मूल 'क्षि' के दो अर्थ हैं (1) प्रकाशित रहना (2) शासन करना। यिमा को हवांथवा भी कहते हैं जिसका अर्थ है, बड़े समुदाय का अधिकारी। यह अवेस्ता का यिमा क्षेता फारसी भाषा में जमशेद हो गया। विवांधवंत का पुत्र जमशेद ईरानी इतिहास में फारसी सभ्यता के विकास का महान नायक हुआ। यह येश्दियद्यान वंश का सम्राट था। यासना 9 और 5 (कोयमा याशी) में कहा गया है कि विवंश ही प्रथम मनुष्य था जिसने हशमा (सक ससमा) को भौतिक जगत में लाकर घेरा डाल दिया और वरदान प्राप्त किया। इससे उसे 'यिमा' पुत्र की प्राप्ति हुई जो मनुष्यों में सूर्य के साथ प्रकाशमान था और उसके साथ अमरत्व प्राप्त मनुष्य, पशु, पक्षी, फल और सदाबहार पेड़, पौधे उत्पन्न हुये। यिमा को व्यक्तित्व दैवी या कभी न मुरझाने वाला सदैव ताजगी से परिपूर्ण था। उसके राज्य में न अधिक ठंड पड़ती थी और न गर्मी पड़ती थी और न ही जरावस्या, मृत्यु एवं अस्वस्थता किसी को सताती थी।

क्या जिंद अवेस्ता का दाहक ही ऋग्वेद का

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

दास है ? यदि नामों की समानता को साक्ष्य मानकर चलें तो निश्चित रूप से दास और दाहक एक ही है। संस्कृत के दास शब्द का अवेस्ता में दाह होना स्वाभाविक है। फारसी में साधारण रूप से संस्कृत का 'स' 'ह' हो जाता है। ऋग्वेद के दास और जिंदा अवेस्ता के दाहक में शब्दों की समानता का ही एक मात्र प्रमाण प्रस्तुत किया जाये तो इसे केवल अटकलबाजी ही कहा जा सकता है। यासना हा 9 (हार्न याशे की भांति) अजिदाहक के तीन मुंह, तीन सिर और 6 आंखों का वर्णन (ऋग्वेद 10.99.6) में दास के भी तीन सिर और 6 आंखे बताई गयी। इसके साथ ही यदि उपरोक्त के अनुसार दास और दाहक एक माने जाते हैं तो दास भारत के मूल निवासी प्राचीन आदिवासी सिद्ध नहीं होते।

क्या वे असभ्य बनवासी थे ? ऋग्वेद से प्रमाणित होता है कि दास और दस्यु आदिम जाति नहीं थे। वास्तव में वे भारतीय आर्यों की अपेक्षा अधिक सभ्य और शक्तिशाली थे। श्री आयंगर ने लिखा है

''दस्यु नगरों में रहते थे (ऋग्वेद 1.5.3.8.1, 1.103.3) और उनके अपने सम्राट थे जिनका विवरण मिलता है। उनके पास गौ, घोड़े और रथों (2–15.4) के रूप में बहुत धन था (8.40.6)। एक सौ फाटकों वाले नगर थे x.(99.8)। इन्द्र ने उनकी समस्त संपत्ति लेकर अपने भक्त आर्यों को दे दी, (1.176.4)। दस्यु धनी थे (1.33.4)। मैदानों और पर्वत शिखरों पर उनकी निजी संपत्ति थी (60.69.6.)। उनकी वेशभूषा स्वर्ण रत्न जटित होती थी (1.33.8)। वे अनेक दुर्गो के स्वामी थे (1.33.13,8.17.18)। दस्यु असुर और आर्य देवगण समान रूप से स्वर्ग, रजत और लौह दुर्गो में रहते थे (सं.रा. 6.23) अथर्ववेद 5.28.9 ऋग्वेद (2.20.8)। इन्द्र ने अपने उपासक दिवोदास की प्रार्थना को ठुकराते हुये दस्युओं के पत्थर के सौ दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। (5.30.20)। जहां आर्यों के पशु बंद थे पत्थरों के उन कारागारों को बृहस्पति ने तोड़ दिया (4,67,3)। दस्युओं के पास आर्यों के समान रथ थे, जिन पर आरूढ़ होकर उन्होंने युद्ध किया (8.24. 27., 3.30.5, 2.15.4) ''।

दास और दस्यु शूद्रों के सामन थे। यह सिद्धांत अनुमान पर आधारित प्रतीत होता है। यह कपोल कल्पना मात्र हैं यह केवल इसलिये बर्दाश्त कर लिया गया, क्योंकि जिनकी यह मान्यता है वे सम्मानित विद्वान हैं। जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है इसका कोई भी अंश साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है दास और दस्यु के अर्थ में नहीं। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये यह सिद्ध करना किसी के लिये भी दुष्कर है कि दास और दस्यु अन्य वैदिक साहित्य में लुप्त हो गये हैं। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि वैदिक आर्यो द्वारा ये विलीन कर दिये गये। किंतु शूद्र के साथ ऐसा नहीं हुआ। वरन् बाद के वैदिक साहित्य में इसकी भरमार है। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि शूद्र दास और दस्यु के भिन्न थे।

क्या शूद्र अनार्य थे ? काणे का कथन है :–

'' शूद्र और आर्य के मध्य ब्राह्मण साहित्य और धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट विभाजन रेखा मिलती है। तांडय ब्राह्मण में शूद्रों और आर्यों के मध्य छद्म युद्ध का वर्णन हैं। इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता था कि आर्य ही विजयी रहें। आपस्तम्ब धर्म सूत्र (1.1.3. 40–41.) में वर्णन है कि ब्रह्मचारी भिक्षा मांग कर लाये हुये समस्त खाद्य पदार्थ को यदि न खा सकें तो वह शेष को किसी आर्य के समीप रख दें या अपने गुरू के किसी दास (सेवक) जो शूद्र हो, उसे दे दें। इसी प्रकार गौतम धर्म सूत्र (10.69) में शूद्र के लिये अनार्य शब्द प्रयुक्त हुआ है।''

शूद्र और आर्य के मध्य सीमा रेखा खींचने के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना होगा। शूद्र अनार्थ थे इस तर्क को बल प्रदान करने के लिये निम्न कथन द्रष्टव्य है :–

''अथर्ववेद (4.20.4.) सहस्र आंख वाला देव इस पौधे को मेरे दायें हाथ पर रख दें। मैं इसके द्वारा शूद्रों और आर्यों दोनों में से प्रत्येक को देखता हूँ।''

कथक संहिता (34.5.) ''शूद्रों और आर्य चमड़े के लिये झगड़ा करते हैं। देव और असुर सूर्य के लिये झगड़े। देवों ने विजय प्राप्त कर सूर्य को पा लिया। (शूद्रों के साथ झगड़े में) आर्यों की विजय हुई। आर्य वेदी (पूजा स्थल) के अंदर प्रवेश कर गये और शूद्र बाहर हो गये। सूर्य की भांति आर्यों की चमड़ी श्वेत वर्ण की हो गई।''

वाजसनेयी संहिता (23.30.30) – '' जब एक हिरण खेत में जौ की फसल खाता है तो खेत का मालिक उस पृष्ठ हिरन से उसी प्रकार प्रसन्न नहीं होता जैसे आर्य स्त्री के शूद्र की प्रयसी होने से (उसका पति) प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करता।''

जैसे खेत में हिरण के जौ की फसल खाने पर (खेत का मालिक) उसके पृष्ठ होने पर प्रसन्न नहीं होता जैसे आर्य स्त्री के शूद्र की प्रयसी होने से (उसका पति) प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करता।''

जैसे खेत में हिरण के जौ की फसल खाने पर (खेत का मालिक) उसके पुष्ठ होने पर प्रसन्न नहीं होता। उसी प्रकार शूद्र पुरुष किसी आर्य स्त्री को अपनी प्रयसी बनाए तो (आर्य पति) प्रसन्न नहीं होता। ये ऋचाएं जिनमें शूद्र और आर्य पृथक–पृथक बताए गए हैं और शूद्रों को अनार्य कहे जाने वाले विचारों का विरोध किया गया है। अतः उनसे किसी परिणाम का पहुंचना तर्कसंगत नहीं होगा। मस्तिष्क में दो विचार धारण करने होंगे – प्रथम यह कि पूर्व कथन एवं ऋग्वेद के साक्ष्य के अनुसार आर्यों की दो श्रेणियों थीं – ''वैदिक'' और दूसरी ''अवैदिक'' । इस तथ्य के आधार पर एक श्रेणी के आर्य के लिए दूसरी श्रेणी वाले को आर्य कहना सरल होगा। यद्यपि दोनों एक दूसरे से भिन्न और विपरीत थे। इस प्रकार के वर्णन से कि शूद्र आर्यों के विरोधी थे, यह तात्पर्य नहीं निकलता कि शूद्र आर्य नहीं थे। वास्तविक रूप से वे भिन्न वर्ग या समूह के आर्य थे।

हिंदूओं के पवित्र ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है

1. अथर्ववेद (19.32.8) – ''हे दूर्वा (घास)'' मुझे ब्राह्मणों, राजन्यों, क्षत्रियों शूद्रों और आर्यों का तथा उनका जिन्हें हम प्रेम करते हैं एवं प्रत्येक वह जो देख सकते हैं उनका प्रिय बना दो।''
2. अथर्ववेद (19.62.1) – ''मुझे देवों, राजपुरुषों तथा उनका जो शूद्रों और आर्यों को देख सकता है प्रिय बना दो।''
3. वाजसनेयी संहिता (1.18.48) – (हे अग्नि) मुझे ब्राह्मणों, राजाओं, वैश्यों और शूद्रों जैसा तेज दो। मुझे अधिकाधिक तेज दो।''
4. वाजसनेयी संहिता (20.17.) – ''जो पाप हमने गांव में, जंगल में, सभा में अपनी जानकारी से शूद्रा अथवा आर्यों से किया हो, जो भी पाप हम में (दोनों, यज्ञ कराने वाला और उसकी स्त्री) से किसी ने अपने कर्तव्य के दौरान (दूसरों के प्रति) किया हो उसे नष्ट कर दो।''
5. वाजसनेयी संहिता (18.48) – ''जैसे मै जनता, ब्राह्मणों, राजाओं, शूद्रों, आर्यों को वे अपने निजी शत्रुओं को आर्शीवाद देता हूं। वैसे ही देवों व दक्षिणा देने वालों का इस लोक में प्रिय बनूं। मेरी यह अभिलाषा स्वीकृत हो। मेरा शत्रु मेरे अधीन रहे।''

उपरोक्त कथनों से क्या स्पष्ट होता है ? प्रथम में तो आर्यों और ब्राह्मणों में अंतर स्पष्ट होता है। क्या यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण आर्य नहीं थे। दूसरे कथन में शूद्रों के लिए प्रेम और सद्भावना की कामना की गई है। यदि शूद्र मूलवंशीय अनार्य होते तो क्या इस प्रकार की कामना हेतु प्रार्थना संभव होती? इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि शूद्र अनार्य थे।

धर्म सूत्र शूद्रों को अनार्य बताते हैं और वाजसनेयी संहिता शूद्र स्त्रियों पर आक्षेप करती है। ये व्यर्थ की बातें हैं। धर्म सूत्रों की व्याख्या के संबंध में दो तर्क हैं – प्रथम धर्म सूत्र तथा अन्य ग्रंथ शूद्रों के विरोधियों द्वारा रचित हैं। अतः इनकों प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह है कि इन ग्रंथों में दिए गए विवरण तर्कहीन हैं तथा अन्य पुस्तकों में दिए गए विचारों के विपरीत हैं।

धर्म सूत्रों के अनुसार शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं है जबकि गणपति संस्कार के अनुसार उसे इसका अधिकार है।

धर्म सूत्र शूद्र को वेदाध्ययन का पात्र नहीं मानते । किंतु छान्दोग्योणानिषद (6–1–2) की कथा है – जनश्रुति को रैक्व ने वेदाध्ययन कराया। इससे बढ़ कर यह बात है कि कवश ऐलूश ऋषि शूद्र थे। उपरोक्तानुसार और ऋग्वेद के दसवें मंडल में उनके द्वारा रचित अनेक मंत्र हैं।

धर्म सूत्र कहते हैं कि शूद्र वैदिक उत्सवों और यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकारी नहीं है। पूर्व मीमांसा के रचियता जैमिनी ने बदरी नामक एक अध्यापक के विषय में (जिसकी रचनाएं नष्ट हो गई हैं) में कहा है कि वह अंतिम मीमांसा शास्त्री है। बदरी के अनुसार शूद्र वैदिक यज्ञ कर सकते हैं। भारद्वाज श्रोत सूत्र (5.28) के अनुसार शूद्र यज्ञ में तीन अग्नि प्रज्जवलित कर सकता है। इसी प्रकार कात्यायन श्रोत सूत्र (1.4.16) के टीकाकार के अनुसार शूद्र वैदिक संस्कारों का अधिकारी है। धर्म सूत्र का कहना है कि शूद पवित्र सोमरस पान करने का अधिकारी नहीं है, जबकि अश्विनी कुमारों की कथा के अनुसार अश्विनी कुमारों ने सुकन्या नामक युवती को स्नान करते समय नग्नावस्था में देखा। वह च्यवन ऋषि की पत्नी थीं जो इतने वृद्ध थे कि आज मरे कल मरे। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्होंने कहा कि हम में से किसी को अपना पति चुन लो। अपना सौंदर्य इस प्रकार नष्ट न करो। सुकन्या ने पतिव्रत धर्म को ध्यान में रखते हुए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अश्विनी कुमारो ने पुनः सुकन्या को विचलित करने का प्रयास करते हुए उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे देवताओं के चिकित्सक हैं और उनके पति को युवा और सुंदर बनाने की क्षमता रखते हैं। अतः वह उनमें से किसी को पति के रूप में स्वीकार करे। सुकन्या अपने पति च्यवन के पास गई और अश्विनी कुमार की शर्तों के विषय में उनकी अनुमति मांगी,

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

च्यवन ने कहा, ''ऐसा ही करो। शर्त के अनुसार च्यवन ने युवावस्था और सौंदर्य प्राप्त किया। यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अश्वनी कुमार सोमरस पान के अधिकारी थे। च्यवन ने प्रसन्न होकर इन्द्र से अश्विनी कुमारों को सोमरस देने का आग्रह किया। इन्द्र ने यद्यपि अश्विनी कुमारों के शूद्र होने के कारण सोमरस देने में आनाकानी की किंतु च्यवन ने इन्द्र को समझा बुझा कर सोमरस दिलवा दिया।''

इस कथन के विरूद्ध भी स्पष्ट साक्ष्य है कि धर्म सूत्रों ने शूद्रों को अनार्य घोषित किया है और कहा है कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जाए। सर्वप्रथम यह मनु के मत के प्रतिकूल है। यह निर्णय लेने में कि क्या शूद्र आर्य थे या कि अनार्य मनुस्मृति के निम्नलिखित मंत्र ध्यान में देते योग्य हैं :–

''शूद्र स्त्री से उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मण के साथ विवाहित की जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो अपनी सातवीं पीढ़ी में नीच योनी से उद्धार पाकर ब्राह्मण हो जाती है।''

''जिस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मणत्व को और कोई ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्यत्व को प्राप्त होता है।''

ब्राह्मण से इच्छापूर्वक (अविवाहित) शूद्र कन्या से और शूद्र से ब्राह्मण कन्या से (उत्पन्न पुत्र) इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ऐसी शंका पर –

ब्राह्मण पुरुष और शूद्र कन्या से उत्पन्न शूद्र पाकादि यज्ञ गुणों के युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है। शूद्र पुरुष और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र प्रतिलोमज होने के कारण अमर्यादित है। यही निर्णय है।

उपरोक्त श्लोक संख्या 64 जैसा ही श्लोक गौतम धर्म सूत्र (22) में भी है। इस श्लोक का ठीक अर्थ विवादास्पद है। इन विवादों के विषय में बुहलर का कथन है :–

''मेघ, गब, कुल्ल और राघ जैसे पाश्चात्य विद्धानों के अनुसार श्लोक का अर्थ है – यदि किसी ब्राह्मण की कन्या और शूद्र और उसके उत्तराधिकारी सभी किसी ब्राह्मण से विवाह करें तो छठी पीढ़ी के दंपत्ति ब्राह्मण माने जाएंगे। यद्यपि वह अर्थ हरदत्त की टीका से मिलता है, किंतु नार और नान ने बिल्कुल भिन्न व्याख्या की है। उनके अनुसार पारशव (शूद्र माता ब्राह्मण पिता की संतान) पुत्र अन्य श्रेष्ठ, गुणी, सचरित्र, पारशव कन्या से विवाह करता है और उसके उत्तराधिकारी भी ऐसा ही करते हैं तो छठी पीढ़ी में उत्पन्न संतान ब्राह्मण मानी जाएगी। नन्दन ने भी इस अर्थ को प्रमाणित माना है। बौद्धायान (1. 16.13.14) के अनुसार निषाद से निषादी द्वारा उत्पन्न संतान पांच पीढ़ी के पश्चात् शूद्रत्व से मुक्त हो जाती है या कोई इसे छठी पीढ़ी तक ले जा सकता है। मद्रास की एक नई पांडुलिपि में बौद्धायन के संबंध में लिखा है कि बौद्धायन ने ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से से उत्पन्न संतानों को आर्यों की श्रेणी में पहुंचाने की आज्ञा दी है। यह असंभव नहीं होगा कि मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ यह भी हो सकता है । यदि ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न होती है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरुष और पारशव स्त्री निम्न जाति सातवीं पीढ़ी में उच्च जाति में पहुंच जाती है।''

व्याख्या कोई भी हो किंतु तथ्य फिर भी स्पष्ट है कि सातवीं पीढ़ी में शूद्र परिस्थिति विशेष में ब्राह्मण हो सकता था। शूद्र यदि आर्य नहीं होते तो इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार शूद्र अनार्य नहीं थे। कौटिल्य का अर्थ शास्त्र इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस प्रथा का उन्मूलन करते हुए कौटिल्य कहता है :–

''यदि कोई संबंधी किसी शूद्र को बेच या बंधक रख दे जो जन्मजात दास न रहा हो और वयस्क न हो गया हो और जन्म से आर्य हो तो विक्रेता संबंधी को बारह पण अर्थदंड देना पड़ेगा। किसी दास के आर्थिक धोखाधड़ी करने पर या आर्य (आर्यभव) के रूप में अधिकार न देने पर आशा अर्थदंड (किसी आर्य को गुलाम बनाने पर दिए जाने वाले दंड की अपेक्षा) देना होगा।

उपयुक्त राशि पर जाने के पश्चात् भी यदि कोई दास को मुक्त न करे तो उसको बारह पण अर्थ दंड देना होगा। अकारण किसी को बंदी बनाए रखने पर (सम्प्रेधास चकरामत) भी वही दंड देना होगा।

यदि किसी ने अपने को दास के रूप में बेच दिया हो तो उसकी संतान आर्य मानी जाएगी। दास ने आपने स्वामी के कार्य में सहयोगी बन कर जितना धन अर्जित किया है वह सब उसके उत्तरदायी को दिया जाए।''

इस प्रकार कौटिल्य (चाणक्य) ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को स्पष्ट रूप से आर्य घोषित किया है।

यह कहना असत्य नहीं तो व्यर्थ अवश्य है कि आर्यों द्वारा दास बनाये गये लोग ही शूद्र कहलाये। इस संबंध में दो तर्क दिये जाते हैं। प्रथम तो ऋग्वेद में दासों को गुलाम दस्यु बताया गया है और दूसरा यह कि दास और शूद्र एक ही हैं।

यह सत्य है कि ऋग्वेद में शूद्र का दस्यु या सेवक के अर्थ में उल्लेख हुआ है। किंतु इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग केवल पांच बार हुआ है। इससे अधिक नहीं। साथ ही यदि यह पांच बार से अधिक प्रयुक्त भी हुआ तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्र ही दास बनाये गये ? जब तक कि सिद्ध नहीं होता कि ये दोनों (शूद्र और दास) एक ही थे तब तक ऐसा निर्णय करना कि शूद्र दास बनाये गये, मूर्खता होगी। यह ज्ञात तथ्यों के विरूद्ध भी होगी।

शूद्र क्षत्रिय राजाओं के राज्यभिषेक में सम्मिलित होते थे। उत्तरकालीन वैदिक ब्राह्मण काल में राजतिलक में जनता सम्राट को मुकुट धारण करती थी, तो वास्तव में राजा को प्रभुत्व प्रदान करता था। प्रजा के प्रतिनिधियों को ''रत्नी'' कहा जाता था क्योंकि उनके पास रत्न होते थे। राजा को प्रभुत्व तभी प्राप्त हो पाता था जब उसे प्रभुत्व के प्रतीक रत्न प्राप्त हो जाते थे। इसके पश्चात राजा प्रत्येक रत्नी के निवास स्थान पर जाकर उपहार देता था। यह उल्लेखनीय है कि रत्नियों में अनिवार्य रूप से एक शूद्र होता था।

''नीति मयूख के रचयिता नीलकंठ ने बाद के राज्यभिषेक के वर्णन किया है। इसके अनुसार चार वर्णों के मंत्री (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) नये राजा को राजमुकुट धारण कराते थे। तत्पश्चात सभी वर्णों और जातियों के लोग राजा के ऊपर पवित्र जल का अभिषेक करते थे और द्विज जय जयकार करते थे।

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

महाभारत में यह प्रमाण मिलता है कि युधिष्ठिर के राजतिलक समारोह में ब्राह्मणों के साथ शूद्र भी आमंत्रित किये गये थे।

प्राचीन काल में जनपद और पौर नामक दो परिषदें होती थी। इनमें शूद्र प्रतिनिधियों का ब्राह्मण भी विशेष रूप से सम्मान करते थे।

मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 61 तथा विष्णुस्मृति (21,64) के उस आदेश से कि ब्राह्मण शूद्र द्वारा शासित राज्य में रहे यह प्रमाणित हो जाता है कि शूद्र भी राजा होते थे। अन्यथा मनु का यह आदेश देना निरर्थक था।

महाभारत के शांतिपर्व में भीष्म ने (जो प्रत्येक जाति और वर्ण के प्रतिनिधित्व में विश्वास करते थे) युधिष्ठिर को यह राजनैतिक उपदेश दिया है :–

''राजा को चाहिए कि वेद विद्या के विद्वान निर्भीक, अंदर बाहर से स्नातक, चार ब्राह्मण, बलवान शस्त्रधारी आठ क्षत्रिय, धन धान्य से सम्पन्न इक्कीस वैश्य, पवित्र आचरण वाले विनयशील तीन शूद्र, पौराणिक ज्ञान संपन्न आठ गुणों युक्त एक सूत इन सबको मंत्रिमंडल में सम्मिलित करें।''

इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्र मंत्री होते थे, और ब्राह्मणों की संख्या के बराबर ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होते थे।

शूद्र नीच और दरिद्र नहीं होते थे। वे धनी होते थे। यह तथ्य मैत्रयानी संहिता (4–2–7–10) और पंचविश ब्राह्मण (1.11) से सिद्ध होता है।

इस प्रश्न के दो पहलू और हैं। यदि मान लिया जाये कि शूद्रों को दास बनाया गया तो प्रश्न उठता है कि शूद्रों को दास बनाने का क्या तात्पर्य था ? यदि आर्यों को दास बनाने का ज्ञान पूर्वकाल में न होता या वे आर्यों को दास बनाने के लिये तैयार न होते तभी उनका अभिप्राय स्पष्ट होता। किंतु तथ्य यह है कि आर्यों को दास बनाने का ज्ञान था और उन्होंने आर्यों में से भी दास बनाये। ऋग्वेद (7.86.7) (8.19.36) और (8.66.3) में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि आर्यों ने अपने लोगों को भी दास बनाया। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन्होंने विशेष रूप से शूद्रों को दास क्यों बनाया ? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि शूद्र दासों के लिये उन्होंने पृथक विधानों की रचना क्यों की ?

निष्कर्ष यह है कि पाश्चात्य विचारक हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में सहायक नहीं अथवा असमर्थ है कि शूद्र कौन थे और वे भारतीय आर्यों के समुदाय मे चतुर्थ वर्ण कैसे बने ?

साभार : बाबा साहेब डा. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड.मय खण्ड – 13
पृष्ठ सं. 77 से 88 तक

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।